उत्तर प्रदेश सरकार
उत्तर प्रदेश पुलिस भर्ती एवं प्रोन्नति बोर्ड
19 सी, तुलसी गंगा कॉम्पलेक्स, विधानसभा मार्ग,
लखनऊ, उत्तर प्रदेश–226001

सूचना/विज्ञप्ति

आनलाइन आवेदन प्रक्रिया वेबसाइट http://prpb.up.nic.in के माध्यम से संचालित होगी। यह विज्ञापन एवं अन्य सुसंगत सूचनायें बोर्ड की वेबसाइट http://uppbpb.gov.in पर उपलब्ध रहेंगी। कृपया समय सारिणी देखें।

उ0प्र0 पुलिस में कम्प्यूटर आपरेटर ग्रेड–ए एवं प्रोग्रामर ग्रेड–2 के पदों पर सीधी भर्ती 2013

संख्याःपीआरपीबी–एक–3(1) 2012 दिनांकःअप्रैल 11 ,2013

1.1 उत्तर प्रदेश पुलिस भर्ती एवं प्रोन्नति बोर्ड, लखनऊ द्वारा **कम्प्यूटर आपरेटर ग्रेड–ए**, वेतनमान–पे बैण्ड–5200–20200 व ग्रेड पे–2400 एवं **प्रोग्रामर ग्रेड–2**, वेतनमान–पे बैण्ड–9300–34800 व ग्रेड पे–4600 के रिक्त पदों, जिनके श्रेणीवार विवरण निम्नवत् हैं, को भरने के लिए आन–लाइन आवेदन पत्र आमंत्रित किये जाते हैंः–

(क) कम्प्यूटर आपरेटर ग्रेड–ए के पदों का विवरण

क0सं0	श्रेणी	संख्या
1	सामान्य	1421
2	अन्य पिछड़ा वर्ग	767
3	अनुसूचित जाति	597
4	अनुसूचित जनजाति	57
	योग	**2842**

(ख) प्रोग्रामर ग्रेड–2 के पदों का विवरण

क0सं0	श्रेणी	संख्या
1	सामान्य	03
2	अन्य पिछड़ा वर्ग	02
3	अनुसूचित जाति	02
4	अनुसूचित जनजाति	–
	योग	**07**

1.2 स्वतंत्रता संग्राम के सेनानियों के आश्रितों के लिये 2 प्रतिशत, भूतपूर्व सैनिकों के लिये 5 प्रतिशत तथा महिलाओं के लिये 20 प्रतिशत का क्षैतिज आरक्षण एतदर्थ प्रवृत्त शासनादेशों में निहित प्राविधानों के अनुसार अनुमन्य होंगे ।

1.3 रिक्तियों की संख्या घट–बढ़ सकती है तथा अपरिहार्य परिस्थितियों में भर्ती प्रक्रिया किसी भी स्तर पर स्थगित अथवा निरस्त की जा सकती है ।

2.1 **आवेदन की समय सारिणी–**

(1) पंजीकरण आरम्भ होने की तिथिः 13–05–2013
(2) पंजीकरण समाप्त होने की तिथिः 12–06–2013
(3) आवेदन शुल्क बैंक में जमा करने की अंतिम तिथिः 14–06–2013
(4) आवेदन स्वीकार किये जाने की अंतिम तिथिः 17–06–2013

2.2 **आवेदन शुल्कः**

इस भर्ती प्रक्रिया के लिए आवेदन शुल्क रू0–200/– (रूपये दो सौ मात्र) निर्धारित किया गया है।

3 अर्हतायें–

3.1–राष्ट्रीयता

भर्ती के लिये यह आवश्यक है कि अभ्यर्थीः–

(क) भारत का नागरिक हो, या
(ख) तिब्बती शरणार्थी हो, जो भारत में स्थायी निवास के अभिप्राय से पहली जनवरी, 1962 के पूर्व भारत आया हो, या
(ग) भारतीय उद्भव का ऐसा व्यक्ति हो जिसने भारत में स्थायी निवास करने के अभिप्राय से पाकिस्तान, म्यॉमार, श्रीलंका या किसी पूर्व अफ्रीकी देश केनिया, यूगांडा और यूनाईटेड रिपब्लिक ऑफ तन्जानिया (पूर्ववर्ती तांगानिका और जांजीबार) से प्रवजन किया हो।

परन्तु उपर्युक्त श्रेणी (ख) या (ग) के अभ्यर्थी को ऐसा व्यक्ति होना चाहिए जिसके पक्ष में राज्य सरकार द्वारा पात्रता का प्रमाण पत्र जारी किया गया हो, परन्तु यह और कि श्रेणी (ख) के अभ्यर्थी से यह भी अपेक्षा की जायेगी कि वह पुलिस उप महानिरीक्षक, अभिसूचना शाखा, उत्तर प्रदेश से पात्रता का प्रमाण पत्र प्राप्त कर ले।

परन्तु यह भी कि यदि कोई अभ्यर्थी उपर्युक्त श्रेणी (ग) का हो तो पात्रता का प्रमाण पत्र एक वर्ष से अधिक अवधि के लिए जारी नहीं किया जायेगा और ऐसे अभ्यर्थी को एक वर्ष की अवधि के आगे सेवा में इस शर्त पर रहने दिया जायेगा कि वह भारत की नागरिकता प्राप्त कर ले।

टिप्पणी:– ऐसे अभ्यर्थी को जिसके मामले में पात्रता का प्रमाण पत्र आवश्यक हो किन्तु वह न तो जारी किया गया हो और न देने से इन्कार किया गया हो, किसी परीक्षा या साक्षात्कार में सम्मिलित किया जा सकता है और उसे इस शर्त पर अनन्तिम रूप से नियुक्त भी किया जा सकता है कि आवश्यक प्रमाण पत्र उसके द्वारा प्राप्त कर लिया जाय या उसके पक्ष में जारी कर दिया जाय ।

3.2–शैक्षिक अर्हता:–

(क) कम्प्यूटर आपरेटर ग्रेड–ए के पद के लिए

अभ्यर्थी को निम्नलिखित शैक्षिक अर्हता धारित करना आवश्यक है:–

1.1 मान्यता प्राप्त बोर्ड से इण्टरमीडिएट परीक्षा भौतिक शास्त्र और गणित विषयों के साथ उत्तीर्ण होना आवश्यक है एवं

1.2 भारत सरकार के इलेक्ट्रॉनिक्स एक्रीडेटेड इन कम्प्यूटर एण्ड कम्यूनिकेशन (DOEACC) विभाग से कम्प्यूटर में ''ओ'' लेवेल की परीक्षा या सरकार द्वारा उसके समकक्ष मान्यता प्राप्त कोई अन्य परीक्षा उत्तीर्ण होना आवश्यक है ।

या

2. प्राविधिक शिक्षा परिषद, उत्तर प्रदेश से कम्प्यूटर अभियंत्रण, सूचना प्रौद्योगिकी या इलेक्ट्रॉनिक्स अभियंत्रण में डिप्लोमा या सरकार द्वारा उसके समकक्ष मान्यता प्राप्त कोई अर्हता ।

(ख) प्रोग्रामर ग्रेड–2 के पद के लिए

अभ्यर्थी को निम्नलिखित शैक्षिक अर्हता धारित करना आवश्यक है:–

1.1 भारत में विधि द्वारा स्थापित किसी विश्वविद्यालय से स्नातक उपाधि या सरकार द्वारा उसके समकक्ष मान्यता प्राप्त कोई अर्हता **एवं**

1.2 भारत सरकार के डिपार्टमेण्ट ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एक्रीडेटेड इन कम्प्यूटर एण्ड कम्यूनिकेशन (DOEACC) विभाग से कम्प्यूटर में ''ए'' लेवेल की परीक्षा या सरकार द्वारा उसके समकक्ष मान्यता प्राप्त कोई परीक्षा उत्तीर्ण होना आवश्यक है ।

या

2.1 भारत में विधि द्वारा स्थापित किसी विश्वविद्यालय से विज्ञान स्नातक (कम्प्यूटर विज्ञान) या विज्ञान स्नातक (सूचना प्रौद्योगिकी) या विज्ञान स्नातक (इलेक्ट्रॉनिक्स) की उपाधि या सरकार द्वारा उसके समकक्ष मान्यता प्राप्त कोई अर्हता के **साथ**

2.2 कम्प्यूटर विज्ञान में स्नातकोत्तर डिप्लोमा (पी0जी0डी0सी0ए0) या सरकार द्वारा उसके समकक्ष मान्यता प्राप्त कोई अर्हता।

टिप्पणी:–

(1) आवेदन करते समय अभ्यर्थी को अपेक्षित शैक्षिक अर्हता अवश्य धारित करनी चाहिए तथा उसकी अंकतालिका अथवा प्रमाण–पत्र उसके पास उपलब्ध होने चाहिए। अपेक्षित शैक्षिक अर्हता हेतु परीक्षा में सम्मिलित हुए (appeared) अथवा सम्मिलित होने वाले (appearing) अभ्यर्थी पात्र न होंगे।

(2) आवेदन पत्र में प्रदर्शित शैक्षिक अर्हता की प्रमाणिकता एवं समकक्षता को सिद्ध करने के लिए अभिलेखीय साक्ष्य प्रस्तुत करने का दायित्व अभ्यर्थी का होगा। इस सम्बन्ध में बोर्ड का निर्णय अंतिम होगा ।

3.3 अधिमानी अर्हतायें:–

अन्य बातों के समान होने पर ऐसे अभ्यर्थी को अधिमान दिया जायेगा, जिसने:–

(एक) प्रादेशिक सेना में न्यूनतम दो वर्ष की अवधि तक की सेवा की हो, या

(दो) राष्ट्रीय कैडेट कोर का ''बी'' प्रमाण पत्र प्राप्त किया हो, या

(तीन) केन्द्र या राज्य सरकार द्वारा मान्यता प्राप्त किसी संस्थान से कम्प्यूटर हार्डवेयर एवं कम्प्यूटर नेटवर्किंग का पाठ्यक्रम सफलतापूर्वक पूर्ण किया हो।

3.4 आयु:–

(क) कम्प्यूटर आपरेटर ग्रेड–ए के पद के लिए

भर्ती के लिए यह आवश्यक है कि:–

अभ्यर्थी ने 01 जुलाई–2013 को 18 वर्ष की न्यूनतम आयु अवश्य प्राप्त कर ली हो और 28 वर्ष की अधिकतम आयु प्राप्त न की हो अर्थात अभ्यर्थी का जन्म 02 जुलाई 1985 से पूर्व तथा 01 जुलाई, 1995 के बाद का नहीं होना चाहिये।

परन्तु अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों और अन्य श्रेणियों के अभ्यर्थियों (केवल उ0प्र0 के मूल निवासी) के लिए अधिकतम आयु सीमा में छूट एतदर्थ प्रवृत्त शासनादेशों में निहित प्राविधानों के अनुसार अनुमन्य होगी ।

(ख) प्रोग्रामर ग्रेड–2 के पद के लिए

भर्ती के लिए यह आवश्यक है कि:–

अभ्यर्थी ने 01 जुलाई–2013 को 21 वर्ष की न्यूनतम आयु अवश्य प्राप्त कर ली हो और 30 वर्ष की अधिकतम आयु प्राप्त न की हो अर्थात अभ्यर्थी का जन्म 02 जुलाई 1983 से पूर्व तथा 01 जुलाई, 1992 के बाद का नहीं होना चाहिये।

परन्तु अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों और अन्य श्रेणियों के अभ्यर्थियों (केवल उ0प्र0 के मूल निवासी) के लिए अधिकतम आयु सीमा में छूट एतदर्थ प्रवृत्त शासनादेशों में निहित प्राविधानों के अनुसार अनुमन्य होगी।

टिप्पणीः–यदि किसी अभ्यर्थी की जन्मतिथि 01 जुलाई है, तो उसकी अधिकतम आयु सीमा की गणना उस वर्ष की 30 जून की तिथि में की जायेगी, जैसा कि अधिवर्षता की आयु की गणना के समय की जाती है ।

3.5 चरित्र

अभ्यर्थी का चरित्र ऐसा होना चाहिये कि वह सरकारी सेवा में सेवायोजन के लिए सभी प्रकार से उपयुक्त हो सके, नियुक्ति प्राधिकारी इस सम्बन्ध में अपना समाधान कर लेंगें।

टिप्पणी–

संघ सरकार या किसी राज्य सरकार या किसी स्थानीय प्राधिकारी द्वारा या संघ सरकार या किसी राज्य सरकार के स्वामित्वाधीन या नियंत्रणाधीन किसी निगम या निकाय द्वारा पदच्युत व्यक्ति सेवा में किसी पद पर नियुक्ति के लिये पात्र नहीं होगें। नैतिक अधमता के किसी अपराध के लिए दोष सिद्ध व्यक्ति भी पात्र नहीं होंगें।

3.6–वैवाहिक प्रस्थिति–

नियुक्ति के लिए ऐसा पुरूष अभ्यर्थी पात्र न होगा जिसकी एक से अधिक पत्नियां जीवित हों या ऐसी महिला अभ्यर्थी पात्र न होगी जिसने ऐसे पुरुष से विवाह किया हो जिसकी पूर्व से एक पत्नी जीवित हो ।

परन्तु सरकार किसी व्यक्ति को इस नियम के प्रवर्तन से छूट दे सकती है यदि उसका समाधान हो जाये कि ऐसा करने के लिए विशेष कारण विद्यमान हैं।

टिप्पणीः–यदि कोई अभ्यर्थी द्विविवाह (bigamy) अथवा बहुविवाह (polygamy) करने का दोषी पाया जाता है तो उसके विरूद्ध विधिक कार्यवाही की जा सकती है। भर्ती प्रक्रिया के किसी भी स्तर पर उसका अभ्यर्थन व चयन निरस्त किया जा सकता है। उसे अन्य भर्ती प्रक्रिया से भी प्रतिवारित (debar) किया जा सकता है ।

3.7–शारीरिक स्वस्थता

किसी अभ्यर्थी को तब तक नियुक्त नहीं किया जायेगा जब तक कि मानसिक और शारीरिक दृष्टि से उसका स्वास्थ्य अच्छा न हो और वह किसी ऐसे शारीरिक दोष से मुक्त न हो जिससे उसे अपने कर्तव्यों का दक्षता पूर्वक पालन करने में बाधा पड़ने की सम्भावना हो। किसी अभ्यर्थी की नियुक्ति के लिए अन्तिम रूप से अनुमोदित किये जाने के पूर्व उससे यह अपेक्षा की जायेगी कि वह फाइनेन्शियल हैण्ड बुक, खण्ड दो, भाग तीन के अध्याय तीन में दिये गये फण्डामेण्टल रूल 10 के अधीन बनाये गये नियमों के अनुसार स्वस्थता प्रमाण–पत्र प्रस्तुत करे। शारीरिक रूप से विकलांग भर्ती के लिए पात्र न होंगे।

4–भर्ती की प्रकिया

(क) कम्प्यूटर आपरेटर ग्रेड–ए के पद के लिए

ऑनलाइन आवेदन पत्रों की संवीक्षा के उपरान्त अर्ह अभ्यर्थियों से लिखित परीक्षा एवं कम्प्यूटर टंकण परीक्षा में सम्मिलित होने की अपेक्षा की जायेगी।

4.1 लिखित परीक्षा

लिखित परीक्षा कुल 200 अंक की होगी। लिखित परीक्षा सामान्य ज्ञान, मानसिक सामर्थ्य, तर्कशक्ति एवं कम्प्यूटर विज्ञान से सम्बन्धित होगी। प्रश्नपत्र का स्तर पद के लिए न्यूनतम अपेक्षित शैक्षिक योग्यता के अनुसार होगा। सभी प्रश्न वस्तुनिष्ठ प्रकार के होंगे।

लिखित परीक्षा के प्रश्नपत्र में अंकों का वितरण निम्नानुसार होगाः–

क0सं0	विषय	अंक
1	सामान्य ज्ञान	50
2	मानसिक सामर्थ्य एवं तर्कशक्ति	50
3	कम्प्यूटर विज्ञान	100
	कुल योग	**200**

लिखित परीक्षा में सफल होने के लिए कुल योग का न्यूनतम 40 प्रतिशत अंक प्राप्त करना आवश्यक होगा। लिखित परीक्षा में सफल होने वाले अभ्यर्थियों में से राज्य की आरक्षण नीति के अनुसार उतनी संख्या में जितनी अपेक्षित हो, प्राप्तांकों की श्रेष्ठता के आधार पर कम्प्यूटर टंकण परीक्षा में सम्मिलित होने के लिए बुलाया जायेगा। ऐसे अभ्यर्थी जो बराबर–बराबर अंक प्राप्त करें तो अधिमानी अर्हता रखने वाले अभ्यर्थी का नाम चयन सूची में ऊपर रखा जायेगा। ऐसे अभ्यर्थी जो बराबर–बराबर अंक प्राप्त करें एवं उनके पास कोई अधिमानी अर्हता न हो तो आयु में ज्येष्ठ अभ्यर्थी का नाम चयन सूची में ऊपर रखा जायेगा।

लिखित परीक्षा का पाठ्यक्रम बोर्ड की वेबसाइट **http://uppbpb.gov.in** एवं **http://prpb.up.nic.in** पर उपलब्ध हैं ।

4.2 कम्प्यूटर टंकण परीक्षा

कम्प्यूटर टंकण परीक्षा के 02 चरण होंगेः–

(1) मूल अभिलेखों की जांच :–

कम्प्यूटर टंकण परीक्षा के लिए बुलाये गये अभ्यर्थियों को अपने ऑनलाइन आवेदन पत्र में अंकित प्रविष्टियों के मिलान हेतु मूल प्रमाण–पत्र प्रस्तुत करना अनिवार्य होगा। मूल प्रमाण–पत्रों की जांच में सफल पाये गये अभ्यर्थियों को ही अर्हकारी प्रकृति की कम्प्यूटर टंकण परीक्षा में सम्मिलित किया जायेगा ।

(2) कम्प्यूटर टंकण परीक्षा

कम्प्यूटर टंकण परीक्षा अर्हकारी परीक्षा होगी। हिन्दी में न्यूनतम 25 शब्द तथा अंग्रेजी में 40 शब्द प्रति मिनट की गति से टाइपिंग की दक्षता रखने वाले अभ्यर्थियों को कम्प्यूटर टंकण परीक्षा में सफल घोषित किया जायेगा।

कम्प्यूटर टंकण परीक्षा निम्नवत होगीः–

अंग्रेजी टाइपिंग	40 शब्द प्रति मिनट	निर्धारित समय 15 मिनट
हिन्दी टाइपिंग	25 शब्द प्रति मिनट	निर्धारित समय 15 मिनट

अभ्यर्थी को अंग्रेजी में लगभग 700 शब्द तथा हिन्दी में लगभग 500 शब्दों का गद्यांश दिया जायेगा तथा एक टेस्ट के बाद 10 मिनट का अन्तराल दिया जायेगा।

हिन्दी टाईपिंग टेस्ट **यूनीकोड** पर आधारित **इन्स्क्रिप्ट की–बोर्ड (INSCRIPT KEYBOARD)** का प्रयोग करते हुए देना होगा। इस प्रयोजन के लिए परीक्षा केन्द्र/स्थान पर बोर्ड अथवा प्राधिकृत एजेन्सी द्वारा कम्प्यूटर प्रदान किया जायेगा। अभ्यर्थियों को स्वयं का की–बोर्ड लाने की अनुमति नहीं होगी। परीक्षा का आयोजन बोर्ड द्वारा निर्धारित केन्द्रों में किया जायेगा। किसी श्रेणी के अभ्यर्थी को कम्प्यूटर टंकण परीक्षा से कोई छूट अनुमन्य नहीं होगी।

4.3–चयन सूची

राज्य की आरक्षण नीति के अनुसार कम्प्यूटर टंकण परीक्षा में सफल अभ्यर्थियों की लिखित परीक्षा में प्राप्तांकों की श्रेष्ठता के आधार पर चयन सूची तैयार की जायेगी। ऐसे अभ्यर्थी जो बराबर–बराबर अंक प्राप्त करें तो अधिमानी अर्हता रखने वाले अभ्यर्थी का नाम चयन सूची में ऊपर रखा जायेगा। ऐसे अभ्यर्थी जो बराबर–बराबर अंक प्राप्त करें एवं उनके पास कोई अधिमानी अर्हता न हो तो आयु में ज्येष्ठ अभ्यर्थी का नाम चयन सूची में ऊपर रखा जायेगा ।

(ख) **प्रोग्रामर ग्रेड–2 के पद के लिए**

ऑनलाइन आवेदन पत्रों की संवीक्षा के उपरान्त पात्र अभ्यर्थियों से लिखित परीक्षा में सम्मिलित होने की अपेक्षा की जायेगी। लिखित परीक्षा निम्नवत् होगीः–

4.4 लिखित परीक्षा

लिखित परीक्षा 200 अंकों की होगी तथा यह दो भागों में होगी। प्रत्येक भाग 100 अंक का होगा। लिखित परीक्षा के प्रथम भाग का प्रश्नपत्र **मानसिक सामर्थ्य, तर्कशक्ति एवं सूचना प्रौद्योगिकी** से सम्बन्धित होगा। लिखित परीक्षा का द्वितीय भाग **कम्प्यूटर प्रोग्रामिंग** से सम्बन्धित होगा। **प्रश्नपत्र का स्तर पद के लिए न्यूनतम अपेक्षित शैक्षिक योग्यता के अनुसार होगा।** सभी प्रश्न वस्तुनिष्ठ प्रकार के होंगे।

लिखित परीक्षा के प्रश्नपत्र में अंकों का वितरण निम्नानुसार होगाः–

भाग	विषय	अंक
भाग–1	1–मानसिक सामर्थ्य एवं तर्कशक्ति	50
	2–सूचना प्रौद्योगिकी	50
भाग–2	कम्प्यूटर प्रोग्रामिंग	100
कुल योग		**200**

लिखित परीक्षा में कुल योग का न्यूनतम 40 प्रतिशत अंक प्राप्त करना आवश्यक होगा।

लिखित परीक्षा का पाठ्यक्रम बोर्ड की वेबसाइट **http://uppbpb.gov.in** एवं **http://prpb.up.nic.in** पर उपलब्ध हैं ।

टिप्पणीः–

(1) लिखित परीक्षा ओ0एम0आर0 उत्तर पत्रक पर होगी। प्रश्न के चार विकल्प होंगे। अभ्यर्थी को उनमें से किसी एक विकल्प को चुनना है, जो प्रश्न का सही उत्तर हो ।

(2) ओ0एम0आर0 उत्तर पत्रक की मूल प्रति अभ्यर्थी द्वारा अपने साथ लेकर चले जाने पर उसका अभ्यर्थन निरस्त कर दिया जाएगा।

(3) लिखित परीक्षा एवं कम्प्यूटर टंकण परीक्षा की तिथि व समय की सूचना यथासमय अधिसूचित की जायेगी।

(4) लिखित परीक्षा के प्रवेश–पत्र बोर्ड की वेबसाइट **http://prpb.up.nic.in** पर यथासमय उपलब्ध होंगे जहां से अभ्यर्थी स्वयं डाउनलोड कर प्रिन्ट करेंगे।

4.5–चयन सूची

राज्य की आरक्षण नीति के अनुसार लिखित परीक्षा में सफल अभ्यर्थियों के प्राप्तांकों की श्रेष्ठता के आधार पर चयन सूची तैयार की जायेगी। ऐसे अभ्यर्थी जो बराबर–बराबर अंक प्राप्त करें तो अधिमानी अर्हता रखने वाले अभ्यर्थी का नाम चयन सूची में ऊपर रखा जायेगा। ऐसे अभ्यर्थी जो बराबर–बराबर अंक प्राप्त करें एवं उनके पास कोई अधिमानी अर्हता न हो तो आयु में ज्येष्ठ अभ्यर्थी का नाम चयन सूची में ऊपर रखा जायेगा।

4.6–मूल अभिलेखों की जांच

नियुक्ति के समय चयन सूची में सम्मिलित किये गये अभ्यर्थियों को अपने ऑनलाइन आवेदन पत्र में अंकित प्रविष्टियों के मिलान हेतु मूल प्रमाण–पत्र प्रस्तुत करना अनिवार्य होगा। मूल प्रमाण–पत्रों की जांच में सफल पाये गये अभ्यर्थियों को ही नियुक्ति प्रक्रिया में सम्मिलित किया जायेगा।

5–आरक्षण व आयु सीमा में छूट

अनुसूचित जातियों, अनूसूचित जनजातियों और अन्य श्रेणी के अभ्यर्थियों (केवल उत्तर प्रदेश के मूल निवासियों को ही अनुमन्य) के लिये आरक्षण व अधिकतम आयु सीमा में छूट से सम्बन्धित विवरण निम्न प्रकार हैंः–

5.1 लम्बवत (वर्टिकल) आरक्षण

क0 सं0	श्रेणी	प्रतिशत	अधिकतम आयु सीमा में छूट	प्रमाण पत्र व प्रारूप	प्रमाण–पत्र देने वाले सक्षम प्राधिकारी
1	अनुसूचित जाति	21	05 वर्ष	जाति प्रमाण पत्र प्रारूप–1	जिलाधिकारी/ अतिरिक्त जिलाधिकारी/सिटी मजिस्ट्रेट/ परगना मजिस्ट्रेट/ तहसीलदार/ अन्य वेतन भोगी मजिस्ट्रेट, यदि कोई हो/जिला समाज कल्याण अधिकारी
2	अनुसूचित जनजाति	02	05 वर्ष	जाति प्रमाण पत्र प्रारूप–1	जिलाधिकारी/ अतिरिक्त जिलाधिकारी/सिटी मजिस्ट्रेट/ परगना मजिस्ट्रेट/ तहसीलदार/ अन्य वेतन भोगी मजिस्ट्रेट, यदि कोई हो/जिला समाज कल्याण अधिकारी
3	अन्य पिछड़ा वर्ग	27	05 वर्ष	जाति प्रमाण पत्र प्रारूप–2	जिलाधिकारी/ अतिरिक्त जिलाधिकारी/सिटी मजिस्ट्रेट/परगना मजिस्ट्रेट/ तहसीलदार

5.2 क्षैतिज (हारिजेण्टल) आरक्षण

क0 सं0	समूह	प्रतिशत	अधिकतम आयु सीमा में छूट	प्रमाण पत्र व प्रारूप	प्रमाण–पत्र देने वाले सक्षम प्राधिकारी
1	स्वतंत्रता संग्राम सेनानी के आश्रित	02	05 वर्ष	आश्रित प्रमाण पत्र प्रारूप–3	जिलाधिकारी/अपर जिलाधिकारी/सिटी मजिस्ट्रेट/ उपजिला मजिस्ट्रेट/ तहसीलदार
2	भूतपूर्व सैनिक	05	3 वर्ष *	यूनिट डिस्चार्ज प्रमाण पत्र	जिला सैनिक कल्याण एवं पुनर्वास अधिकारी
3	महिला	20	लम्बवत (वर्टिकल) आरक्षण की उपरोक्त तालिका के क्रम संख्या 1–3 में अंकित श्रेणी के अनुसार		

* भूतपूर्व सैनिकों की आयु, सेना में की गई सेवा अवधि को उनकी वास्तविक आयु से घटाने पर, निर्धारित आयु सीमा से 3 वर्ष से अधिक नहीं होनी चाहिए।

5.3 संचयी आयु छूटः

क्षैतिज आरक्षण के अभ्यर्थियों को उनकी लम्बवत श्रेणी के सापेक्ष अधिकतम आयु सीमा में निम्न तालिका के अनुरूप संचयी आयु छूट (Cumulative Age-Relaxation) मिलेगीः–

आयु छूट तालिका

क्षैतिज आरक्षण	लम्बवत आरक्षण			
	उ0प्र0 के अनुसूचित जनजाति	उ0प्र0 के अनुसूचित जाति	उ0प्र0 के अन्य पिछड़े वर्ग	अनारक्षित (सामान्य)
स्वतंत्रता संग्राम सेनानी के आश्रित	5+5 वर्ष	5+5 वर्ष	5+5 वर्ष	0+5
भूतपूर्व सैनिक	5+3 वर्ष *	5+3 वर्ष *	5+3 वर्ष *	0+3 वर्ष *
महिला	5+0=5 वर्ष	5+0=5 वर्ष	5+0=5 वर्ष	0+0=0

टिप्पणीः–

(1) यदि अनुसूचित जाति/जनजाति की कोई स्त्री किसी सवर्ण पुरूष से विवाह करती है तो उसे विवाह के उपरान्त भी पूर्व में अनुमन्य आरक्षण मिलता रहेगा ।

(2) यदि कोई सवर्ण स्त्री किसी अनुसूचित जाति/जनजाति के पुरूष से विवाह करती है तो उस स्त्री को आरक्षण व्यवस्था के अन्तर्गत लाभ अनुमन्य नहीं होगा।

(3) गोद लिये जाने के फलस्वरूप सम्बन्धित बच्चा गोद लेने वाले व्यक्ति की अपनी सन्तान स्वरूप हो जाता है। अतः यदि अनुसूचित जाति/जनजाति का कोई व्यक्ति किसी सवर्ण बच्चे को नियमानुसार गोद लेता है तो उस बच्चे को आरक्षण व्यवस्था के अन्तर्गत लाभ अनुमन्य होगा ।

(4) लम्बवत/क्षैतिज आरक्षण का लाभ केवल उ0प्र0 के मूल निवासियों को ही दिया जायेगा अर्थात उ0प्र0 के अन्यत्र किसी अन्य प्रदेश के मूल निवासी को लम्बवत/क्षैतिज आरक्षण का लाभ देय नहीं होगा ।

(5) उत्तर प्रदेश लोक सेवा (अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जन जातियों और अन्य पिछड़े वर्गों के लिए आरक्षण) अधिनियम–1994 (समय–समय पर यथा संशोधित) की अनुसूची–दो के अनुसार **क्रीमीलेयर** के अन्तर्गत आने वाले उत्तर प्रदेश के अन्य पिछड़े वर्ग के अभ्यर्थियों को आरक्षण का लाभ अनुमन्य नहीं है। अन्य पिछड़े वर्ग के लिए जाति प्रमाण–पत्र (प्रारूप–1) 01 अप्रैल, 2012 या उसके बाद का आनलाइन आवेदन करने की तिथि तक निर्गत होना चाहिए ।

(6) बोर्ड की वेबसाइट **http://uppbpb.gov.in** एवं **http://prpb.up.nic.in** पर दिये गये निर्धारित प्रारूपों पर ही आरक्षण सम्बन्धी प्रमाण–पत्र मान्य होंगे।

(7) भारत सरकार के अधीन पदों पर नियुक्ति हेतु प्रस्तुत किये जाने वाले प्रमाण–पत्र के प्रपत्र पर अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति व अन्य पिछड़े वर्ग के प्रमाण–पत्र मान्य नहीं होंगे ।

(8) लम्बवत/क्षैतिज आरक्षण की दावेदारी के समर्थन में जिलाधिकारी/सक्षम अधिकारी द्वारा निर्गत उत्तर प्रदेश का मूल निवासी होने सम्बन्धी निवास प्रमाण–पत्र (डोमीसाइल सर्टिफिकेट) प्रस्तुत करना अनिवार्य होगा, जिसके अभाव में अभ्यर्थी को आरक्षण का लाभ अनुमन्य नहीं होगा। जाति प्रमाण–पत्र में अंकित निवास स्थान को निवास प्रमाण पत्र नहीं माना जायेगा ।

(9) आरक्षण की दावेदारी के समर्थन में संबंधित मूल प्रमाण–पत्र प्रस्तुत न किये जाने पर यह अवधारणा की जायेगी कि अभ्यर्थी आरक्षण का दावेदार नहीं है एवं तदनुसार यह दावेदारी निरस्त कर, यदि अभ्यर्थी सामान्य श्रेणी की समस्त पात्रताओं को पूर्ण करता हो तो, उसे सामान्य श्रेणी के अन्तर्गत मानते हुए भर्ती प्रक्रिया में सम्मिलित कर लिया जायेगा। इस संबंध में किसी संशोधन/परिवर्तन हेतु पुनः कोई अवसर प्रदान नहीं किया जायेगा।

(10) यदि आरक्षित श्रेणी से सम्बन्धित कोई व्यक्ति योग्यता के आधार पर खुली प्रतियोगिता में सामान्य अभ्यर्थियों के साथ चयनित होता है तो उसे आरक्षित रिक्तियों के प्रति समायोजित नहीं किया जायेगा अर्थात उसे अनारक्षित रिक्तियों के प्रति समायोजित माना जायेगा, भले ही उसने आरक्षित वर्ग के अभ्यर्थियों को अनुमन्य किसी सुविधा या छूट (यथा–आयु सीमा में छूट आदि) का उपभोग किया हो ।

5.4 स्वतंत्रता संग्राम सेनानी':–स्वतन्त्रता संग्राम सेनानी का तात्पर्य उत्तर–प्रदेश के ऐसे अधिवासी से है जिसने भारत के स्वतंत्रता संग्राम में भाग लिया था और–

(एक) जिसने वीरगति प्राप्त की हो, या

(दो) जिसने कम से कम दो मास की अवधि के लिये कारावास का दण्ड भोगा हो, या

(तीन) जो नजरबन्दी या विचाराधीन बन्दी के रूप में जेल में कम से कम तीन मास की अवधि के लिए निरूद्ध हुआ हो, या

(चार) जिसने कम से कम दस बेंतो का दण्ड भोगा हो, या

(पांच) जो गोली से घायल हुआ हो, या

(छः) जिसे फरार घोषित किया गया हो, या

(सात) जो 'पेशावर काण्ड' में रहा हो, या

(आठ) जो आजाद हिन्द फौज का सदस्य रहा हो, या

(नौ) जो इण्डिया इण्डिपेन्डेंस लीग का प्रमाणित सदस्य रहा हो, या

(दस) जिसे गांधी–इरविन समझौते के अधीन रिहा किया गया हो।

इस खण्ड के प्रयोजनों के लिये ऐसे व्यक्ति को स्वतंत्रता संग्राम सेनानी नहीं माना जायेगा जिसने माफी मांगी हो और उसे माफ कर दिया गया हो।

'स्वतंत्रता संग्राम सेनानी' के 'आश्रित' का तात्पर्य किसी स्वतंत्रता सेनानी के संदर्भ में ऐसे स्वतंत्रता संग्राम सेनानी के–

(एक) पुत्र और पुत्री (विवाहित अथवा अविवाहित), और

(दो) पौत्र (पुत्र का पुत्र) और पौत्री (पुत्र की पुत्री) विवाहित अथवा अविवाहित से है।

दत्तक पुत्र/पुत्री भी गोद लेने वाले व्यक्ति की सन्तान स्वरूप माने जायेंगे तथा उन्हें स्वतंत्रता संग्राम सेनानी के आश्रित का लाभ अनुमन्य होगा। स्वतंत्रता संग्राम सेनानी से केवल उपर्युक्त सम्बन्ध ही पर्याप्त नहीं है अपितु अभ्यर्थी को स्वतंत्रता संग्राम सेनानी पर वास्तव में आश्रित भी होना चाहिए।

<u>5.5 भूतपूर्व सैनिकः</u>–"भूतपूर्व सैनिक" का तात्पर्य ऐसे व्यक्ति से है जिसने भारतीय थल सेना, नौ सेना या वायु सेना में किसी कोटि में योधक या अनायोधक के रूप में कम से कम 06 मास की अवधि के लिये लगातार सेवा की हो और जो–

(एक) अपनी पेंशन अर्जित करने के पश्चात् ऐसी सेवा से सेवानिवृत्त हुआ है, या

(दो) चिकित्सीय आधार पर, जैसा कि सैन्य सेवा के लिए अपेक्षित हो ऐसी सेवा से निर्मुक्त किया गया है, या ऐसी परिस्थितियों, जो उसके नियंत्रण से बाहर हों, के कारण निर्मुक्त किया गया है और जिसे चिकित्सीय या अन्य अयोग्यता पेंशन दी गई है, या

(तीन) जो ऐसी सेवा के अधिष्ठान में कमी किए जाने के फलस्वरूप अपनी स्वयं की प्रार्थना के बिना, निर्मुक्त किया गया है, या

(चार) विशिष्ट निर्धारित अवधि पूर्ण करने के पश्चात् ऐसी सेवा से निर्मुक्त किया गया है, किन्तु अपनी स्वयं की प्रार्थना पर निर्मुक्त नहीं किया गया है, या दुराचरण या अदक्षता के कारण पदच्युत या सेवामुक्त नहीं किया गया है और जिसे ग्रेच्युटी प्रदान की गई है।

(पांच) ऐसे भूतपूर्व सैनिकों की शैक्षिक अर्हता स्नातक मानी जायेगी जो मैट्रीकुलेट हैं तथा इण्डियन स्पेशल आर्मी सर्टिफिकेट आफ एजुकेशन या नौ सेना/वायु सेना में समकक्षीय सर्टिफिकेट प्राप्त किये हों तथा संघ की सशस्त्र सेवा में कम से कम 15 वर्ष की सेवा पूरी कर ली हो।

(छः) और इसमें टेरीटोरियल आर्मी के निम्नलिखित श्रेणी के कार्मिक भी हैंः–

(1) निरंतर संगठित सेवा के लिए पेंशन पाने वाले,

(2) सैन्य सेवा के कारण चिकित्सीय अपेक्षाओं में अयोग्य व्यक्ति, और

(3) शौर्य पुरस्कार पाने वाले।

(सात) संघ की सशस्त्र सेना में कार्यरत ऐसे व्यक्ति जो सेना से सेवा निवृत्त होने पर भूतपूर्व सैनिक की श्रेणी में आयेंगे उन्हें पुनर्नियुक्ति के लिए एक साल पहले अनुमति प्रदान की जा सकती है और वे व्यक्ति भूतपूर्व सैनिक को अनुमन्य सारे लाभ प्राप्त करने के हकदार होंगे, किन्तु उन्हें वर्दी छोड़ने की अनुमति तब तक नहीं मिलेगी जब तक वे संघ की सशस्त्र सेना में उस अवधि को पूरा नहीं कर लेंगे। अतः ऐसे सैनिक जो अभी सेना में सेवारत हैं तथा जिन्हें पुनर्नियुक्ति के लिए एक साल पहले यूनिट के कमाण्डेन्ट द्वारा नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट प्रदान किया गया है, वह भी इस भर्ती प्रक्रिया में सम्मिलित होने के लिए पात्र होंगे।

(आठ) भूतपूर्व सैनिक संबंधी दावे की पुष्टि में जिला सैनिक कल्याण एवं पुनर्वास अधिकारी द्वारा निर्गत भूतपूर्व सैनिक/यूनिट डिस्चार्ज प्रमाण पत्र/सेवामुक्ति प्रमाण–पत्र तथा संघ की सशस्त्र सेना में कार्यरत सैनिक अभ्यर्थी जिनकी विनिर्दिष्ट सेवा अवधि पूरी होने में एक साल शेष हैं, द्वारा पुनर्नियुक्ति के लिए यूनिट के कमाण्डेण्ट द्वारा निर्गत 'नो आब्जेक्शन सर्टिफिकेट' प्रस्तुत करना अनिवार्य होगा।

<u>टिप्पणीः–</u>

(1) आरक्षण के लाभों को प्राप्त करने के प्रयोजन से भूतपूर्व सैनिक माने जाने के लिए संघ की तीनों सशस्त्र सेनाओं के किसी भी सैनिक के लिए आवश्यक है कि उसने आवेदन पत्र भेजने के संगत समय पर भूतपूर्व सैनिक का दर्जा पहले ही हासिल कर लिया हो और/अथवा उसे सक्षम प्राधिकारी से प्राप्त दस्तावेजी सबूतों के द्वारा अपनी इस अर्जित हकदारी को सिद्ध करने की स्थिति में होना चाहिए कि वह अन्तिम तिथि से एक वर्ष की निर्धारित अवधि के भीतर सशस्त्र सेनाओं की विनिर्दिष्ट सेवा पूरी कर लेगा।

(2) भूतपूर्व सैनिक के पुत्र–पुत्रियों और आश्रितों को इस आरक्षण व आयु सीमा की छूट अनुमन्य नहीं होगी।

<u>5.6–महिलाः–</u> राज्याधीन लोक सेवाओं और पदों पर सीधी भर्ती के प्रक्रम पर महिलाओं के लिए 20 प्रतिशत आरक्षण प्रदान किये जाने की व्यवस्था निम्नवत् हैः–

(1) आरक्षण हारिजेन्टल प्रकृति का होगा अर्थात किसी राज्याधीन लोक सेवा और पद पर महिला आरक्षण के अधीन चयनित महिला जिस श्रेणी की होगी उसे उस श्रेणी के प्रति समायोजित किया जायेगा।

(2) यदि कोई महिला, किसी राज्याधीन लोक सेवा और पद पर मेरिट के आधार पर चयनित होती है तो उसकी गणना उस पद पर महिलाओं के लिए आरक्षित रिक्ति के प्रति की जायेगी।

(3) राज्याधीन लोक सेवाओं और पदों में सीधी भर्ती के लिए किसी चयन में महिलाओं के लिए आरक्षित पद यदि महिला अभ्यर्थियों के उपलब्ध न होने के कारण नही भरा जा सके तो वह पद उपयुक्त पुरूष अभ्यर्थियों से भरा जायेगा व भविष्य के लिए अग्रेनीत नहीं किया जायेगा।

(4) महिलाओं को अनुमन्य आरक्षण केवल उत्तर प्रदेश की मूल निवासी महिलाओं को ही अनुमन्य है ।

टिप्पणीः–

(1) यदि कोई अभ्यर्थी एक से अधिक श्रेणी में आरक्षण का दावा करता है तो उसे केवल एक ही आरक्षण का लाभ मिलेगा, जो उसके लिये ज्यादा लाभकारी होगा।

(2) क्षैतिज (हारिजेण्टल) आरक्षण के अधीन चयनित अभ्यर्थी जिस श्रेणी का होगा उसे उसी श्रेणी के प्रति समायोजित किया जायेगा।

6–आवेदन की प्रकिया

6.1– आवेदन करने हेतु 'आन–लाइन आवेदन पद्धति' लागू है। अन्य किसी माध्यम से प्रेषित आवेदन पत्र स्वीकार नहीं किये जायेंगे।

6.2– 'आन–लाइन आवेदन पत्र' भरने की प्रकिया निम्नानुसार होगीः–

(1) बोर्ड की वेबसाइट **http://prpb.up.nic.in** पर जायें ।

(2) ऑनलाइन आवेदन को भरे जाने हेतु वेबसाइट पर दिये गये सामान्य एवं विस्तृत निर्देशों को भलीभांति समझ लें और तद्नुसार आवेदन करें ।

(3) बोर्ड की वेबसाइट पर आन–लाइन विज्ञापन के सम्मुख 'Candidate's Registration' को 'क्लिक' करने पर आवेदन का एक प्रारूप स्क्रीन पर प्रदर्शित होगा, जिसमें अभ्यर्थी वांछित सूचनायें भरेंगे ।

(4) आन–लाइन आवेदन करने का कार्य निम्नांकित तीन चरणों में किया जायेगाः–

(i) प्रथम चरण–पंजीकरण

अभ्यर्थी बोर्ड की वेबसाइट पर प्रदर्शित 'Candidate's Registration' को क्लिक करने पर प्राप्त फार्म में सूचनायें भरकर पंजीकरण करें तथा Registration Slip प्रिन्ट कर अपने पास सुरक्षित रख लें। इसके साथ ही भारतीय स्टेट बैंक अथवा पंजाब नेशनल बैंक में से किसी एक बैंक का ई–चालान प्रिन्ट कर लें। ध्यान रखें कि अगले चरण में रजिस्ट्रेशन नम्बर अभ्यर्थी को निर्धारित स्थान पर सही–सही प्रविष्ट करना होगा।

(ii) द्वितीय चरण–शुल्क का भुगतान

प्रथम चरण में प्राप्त ई–चालान अभ्यर्थी द्वारा बैंक की किसी भी शाखा में प्रस्तुत कर निर्धारित धनराशि का भुगतान किया जायेगा। अभ्यर्थी द्वारा प्रस्तुत ई–चालान पर भुगतान प्राप्त करने के पश्चात बैंक द्वारा अभ्यर्थी की ई–चालान की प्रति में ट्रान्जेक्शन आई0डी0 (भारतीय स्टेट बैंक) या जर्नल नम्बर (पंजाब नेशनल बैंक) एवं दिनांक अंकित कर अभ्यर्थी को वापस की जायेगी। इस ट्रान्जेक्शन आई0डी0 या जर्नल नम्बर का उपयोग तृतीय चरण में आवेदन पत्र भरने के लिए किया जायेगा।

(iii) तृतीय चरण–आवेदन पत्र जमा किया जाना

(1) बैंक में शुल्क जमा करने के दिवस को छोड़कर अगले कार्य दिवस को अपरान्ह 02:00 बजे के उपरान्त अभ्यर्थी को बोर्ड की वेबसाइट पर प्रदर्शित 'Submit Application Form' को क्लिक करना होगा। प्रदर्शित फार्म में रजिस्ट्रेशन नम्बर, बैंक का नाम, ट्रान्जेक्शन आई0डी0 या जर्नल नम्बर तथा दिनांक का विवरण सही–सही अंकित करने पर विस्तृत आवेदन फार्म उपलब्ध होगा जो अभ्यर्थी द्वारा भरा जायेगा ।

(2) फार्म में अन्य सूचनाओं के अतिरिक्त फोटो और हस्ताक्षर स्कैन करके अपलोड करना होगा। अभ्यर्थी अपनी रंगीन फोटो व हस्ताक्षर आवेदन में उल्लिखित निर्धारित आकार में ही स्कैन करें। यह भी ध्यान रखें कि फोटो नवीनतम और आवक्ष तक होनी चाहिए। सेवारत अभ्यर्थी की फोटो में कोई वर्दी धारित नहीं होनी चाहिए। यदि फोटो व हस्ताक्षर निर्धारित आकार में स्कैन करके अपलोड नहीं किया जाता तो आवेदन पत्र को आन–लाइन सिस्टम स्वीकार नहीं करेगा।

(3) आवेदन प्रारूप पर सभी प्रविष्टियां अंकित करने के बाद 'View Application Form' को क्लिक करके अभ्यर्थी अपने द्वारा भरी गयी सूचनाओं को देख लें कि सभी सूचनायें सही–सही भरी गयीं हैं।

(4) पूरी तरह सन्तुष्ट होने के बाद आवेदन पत्र बोर्ड को जमा करने हेतु 'Submit' बटन को क्लिक करें। **यदि अभ्यर्थी द्वारा 'Submit' बटन को क्लिक नहीं किया जायेगा तो आवेदन बोर्ड को प्राप्त नहीं होगा।**

(5) 'Submit' बटन को क्लिक करने के पश्चात आवेदन का प्रिन्ट आउट लेकर अभ्यर्थी इसे अपने पास सुरक्षित रखें। किसी विसंगति की दशा में उक्त प्रिन्ट आउट बोर्ड में अभ्यर्थी को प्रस्तुत करना होगा अन्यथा अभ्यर्थी का अनुरोध स्वीकार नहीं किया जायेगा।

6.3 एक बार आवेदन 'Submit' करने के पश्चात उसमें कोई संशोधन नहीं किया जा सकेगा ।

6.4 आन–लाइन आवेदन के साथ कोई प्रमाण–पत्र/ अंकतालिका प्रेषित करने की आवश्यकता नहीं है।

<u>7–अन्य</u>

1– विज्ञापित पदों पर की जा रही यह भर्ती अस्थाई है।

2– अभ्यर्थी दिवालिया न हो तथा किसी न्यायालय द्वारा कभी दण्डित न हुआ हो।

3– किसी अनाचार, किसी महत्वपूर्ण सूचना को छिपाने, अभियोजन/अपराधिक वाद लम्बित होने, दोषसिद्ध होने, एक से अधिक जीवित पति या पत्नी के होने, तथ्यों को गलत प्रस्तुत करने तथा अभ्यर्थन अथवा चयन के सम्बन्ध में सिफारिश करने आदि कृत्यों में लिप्त पाये जाने पर अभ्यर्थन निरस्त करने तथा बोर्ड की परीक्षाओं एव चयनों से प्रतिवारित (**Debar**) करने का अधिकार बोर्ड को होगा।

4– परीक्षा कक्ष के अन्दर पुस्तक, नोटबुक, लॉग–टेबुल, कैलकुलेटर, वॉच कैलकुलेटर, पेजर, मोबाइल फोन या अन्य इलेक्ट्रानिक्स उपकरणों का प्रयोग वर्जित है।

5– परीक्षा कक्ष के अन्दर अभ्यर्थी द्वारा प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से समर्थन प्राप्त करने का प्रयास करने, किसी व्यक्ति के स्थान पर स्वयं प्रस्तुत होने अथवा अपने स्थान पर किसी दूसरे व्यक्ति को प्रस्तुत करने, जाली दस्तावेज अथवा दस्तावेजों में छेड़छाड़ कर प्रस्तुत करने, गलत व झूठी सूचना देने अथवा आवश्यक तथ्यों को छिपाने, किसी अन्य अनियमित व अनुचित साधन का उपयोग करने, परीक्षा के दौरान स्वयं अथवा दूसरे अभ्यर्थी के लाभ हेतु अनुचित साधनों का प्रयोग अथवा प्रयास करने, कोई अप्रसांगिक तथ्य, बेतुकी भाषा, किसी देवी देवता अथवा नेता की स्तुति या किसी चिन्ह का प्रयोग पहचान चिन्ह के रूप में लिखने, परीक्षा हाल में किसी अन्य तरीके का दुर्व्यवहार करने, किसी स्टाफ को तंग करने अथवा शारीरिक क्षति पहुंचाने का प्रयास करने, दिये गये किसी भी प्रकार के निर्देशों/शर्तो का उल्लंघन करने, परीक्षा के दौरान मोबाइल फोन/पेजर या किसी अन्य प्रकार के इलेक्ट्रानिक उपकरण या यंत्र अथवा संचार यंत्र के रूप में प्रयोग किए जा सकने वाले किसी अन्य उपकरण का प्रयोग करते या पास रखे पाये जाने पर उसका अभ्यर्थन निरस्त कर दिया जायेगा। बोर्ड द्वारा 05 वर्ष की अवधि के लिए उसे आगामी परीक्षाओं से भी वंचित किया जा सकता है।

6– इस सूचना/विज्ञप्ति के माध्यम से जो सूचनाएं उपलब्ध करायी जा रही हैं, उनके सम्बन्ध में सूचना का अधिकार अधिनियम–2005 के अन्तर्गत पृथक से कोई प्रार्थना पत्र स्वीकार नहीं किये जायेगें और न ही उन पर बोर्ड द्वारा कोई विचार किया जायेगा ।

<u>8–बोर्ड का निर्णय अन्तिम होगा</u>

अभ्यर्थी की पात्रता, आवेदन पत्रों को स्वीकार अथवा अस्वीकार करने, मिथ्या जानकारी के लिए शास्ति, चयन के तरीके, परीक्षाओं के आयोजन व परीक्षा केन्द्रों के आवंटन सम्बन्धी सभी मामलों में बोर्ड का निर्णय अन्तिम एवं बाध्यकारी होगा। इस सम्बन्ध में कोई पत्राचार स्वीकार्य नहीं होगा ।

अपर सचिव (भर्ती)
उ0प्र0पुलिस भर्ती एवं प्रोन्नति बोर्ड,
लखनऊ।